संख्या- 06/2016/172/बयालिस-2016-04(निर्माण)/2012

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 फरवरी, 2016**

विषय :- जनपद- देवरिया की तहसील- भाटपार रानी के अन्तर्गत ग्राम- मलहना मलहनी मे स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1367/नि0 देवरिया भाट-पारस्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 20 जनवरी, 2016 एवं शासनादेश संख्या- 16/बयालिस-2014-04(निर्माण)/2012, दिनांक 07 फरवरी, 2014] शासनादेश संख्या- 3186/बयालिस-2014-04(निर्माण)/2012, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 57/1625/बयालिस-2015-04(निर्माण)/2012, दिनांक 21 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में जनपद देवरीया की तहसील भाटपार रानी के अन्तर्गत ग्राम मलहना मलहनी में स्टेडियम के निर्माण हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2015-16 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी, तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जायें।

(3)- स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेगे।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एंव बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- शासनादेश संख्या- 16/बयालिस-2014-04(निर्माण)/2012, दिनांक 07 फरवरी, 2014, शासनादेश संख्या- 3186/बयालिस-2014-04(निर्माण)/2012, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 57/1625/बयालिस-2015-04(निर्माण)/2012, दिनांक 21 जुलाई, 2015 की शेष शर्तों का अनुपालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा- 800-अन्य व्यय-53-जनपद देवरिया में भाटपार रानी महलना मलहनी में स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 06/2016/172(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, देवरिया।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, गोरखपुर/क्रीड़ाधिकारी, देवरिया।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in